

Printed from

**नवभारत टाइम्स**

Navbharat Times - Breaking news, views, reviews, cricket from across India

## यमुना के सेक्टरों को मिलेंगी दो पैरलल सड़कें

29 Dec 2010, 0400 hrs IST

प्रमुख संवाददाता ॥ ग्रेटर नोएडा

यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के रेजिडेंशल आवंटियों और एक्सप्रेस-वे के किनारे बनने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लोगों को बगैर टोल टैक्स चुकाए उनके घर तक पहुंचाने के लिए अलग से दो रोड बनाई जा रही हैं। इस पर यमुना अथॉरिटी 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अथॉरिटी ने पिछले साल यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे 21 हजार प्लॉटों की रेजिडेंशल स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम का ड्रॉ हो चुका है। साथ ही इनके पास ग्रुप हाउसिंग व बिल्डर स्कीम भी लॉन्च हुई हैं। इन आवंटियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट रोड बनाई जा रहा है। अथॉरिटी अधिकारियों के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर पैरलल रोड बनाई जाएंगी। ये एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन से अलग होंगी और ग्रेटर नोएडा के जगनपुर गांव के पास से शुरू होंगी। उससे पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अधिसूचित एरिया है। सड़कों की लंबाई 15 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेस-वे के लेफ्ट साइड 60 मीटर चौड़ी रोड बनेगी। इसका काम शुरू कर दिया गया है। राइट साइड 30 मीटर चौड़ी रोड बनेगी। 60 मीटर चौड़ी रोड पर 42 करोड़ रुपये और 30 मीटर चौड़ी रोड पर 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों सड़कों के दोनों ओर 50 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट होगी। ये सड़कें अप्रैल तक बन कर तैयार हो जाएंगी। इन सड़कों का एक फायदा यह भी होगा कि आवंटियों को अपने घरों तक जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसा न होने पर यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पर भी उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता था। इसके अलावा सेक्टर-18 और 20 के अंदर भी 100-100 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी।

[इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।](#)[इस आर्टिकल को ट्वीट करें।](#)[देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।](#)[About Us](#) | [Advertise with Us](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Feedback](#) | [Sitemap](#)Copyright © 2010 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: [Times Syndication Service](#)

This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768